

प्रायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

धनेश्वरी देवी

बनाम्

मानिकचन्द वगै०

विविध वाद संख्या.....०२...../2022-23

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

08/08/22

अंचल अधिकारी, बगोदर के पत्रांक-403 दिनांक-2806.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका धनेश्वरी देवी पति बालेश्वर महतो, साकिन-जरमुने, थाना-बगोदर, जिला-गिरिडीह के आवेदन पर राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच कराई गई। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-जरमुने, थाना नं०-108, खाता नं०-185, प्लॉट नं०-2029, रकवा-0.14 ए० भूमि रैयती खाते की है जो आवेदिका धनेश्वरी देवी पति बालेश्वर महतो को केवाला सं०-6620 दिनांक-27.12.2018 के द्वारा हासिल है। ऑनलाई पंजी-II के पेज नं०-34, भोलुम नं०-44 पर जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत है। परन्तु उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष के मानिकचन्द वगै० के द्वारा पिता स्व० निर्मल महतो वगै० के द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त भूमि पर विविध वाद प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 24/08/22 को रखे।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
------------------------------	--------------------------------	---

1	2	3
---	---	---

24/8/22

अभिलेख उपस्थापित।

प्रथम पक्ष स्कूल अणु। द्वितीय पक्ष अणु।
अभिलेख दिनांक 7.9.2022 को रखे।

साब

7.9.22

प्रथम पक्ष वचालन एजिर। द्वितीय
पक्ष अणु।

अभिलेख दिनांक 21.9.22 को रखे।

साब

21.9.22

उभयपक्ष अणु।

अभिलेख दिनांक 12.10.22 को रखे।

साब

12.10.22

प्रथम पक्ष वचालन एजिर। द्वितीय पक्ष
अणु। संयुक्त समझौता उभयपक्ष की भाँति
से दायित्व। पीछाखीन पक्ष अन्ध धर्म
से चरना।

अभिलेख दिनांक 2.11.22 को रखे।

साब

2.11.22

उभयपक्ष अणु। उभयपक्ष
द्वारा दायित्व समझौता नामा
के आलोक में नद की कार्यवाही
समाप्त की जाती है। उक्त
समझौता नामा इस आदेश
का अंश होगा।

साब



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : e6440246175b7993125a

Receipt Date : 11-Sep-2022 09:48:51 am

Receipt Amount : 10/-

Amount In Words : Ten Rupees Only

Document Type : Agreement or Memorandum of an Agreement

District Name : Hazaribag

Stamp Duty Paid By : DEVKI DEVI AND OTHER

Purpose of stamp duty paid : SAMJHOTANAMA

First Party Name : DEVKI DEVI AND OTHER

Second Party Name : MANIKCHAND AND OTHERS


GRN Number : 2213416483

-: This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number :-

मानिकचन्द प्रसाद

Devki Devi

Devki Devi




This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document. The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint, photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act, 1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

मनीष प्रसाद
वास्तविक महरा

मानिकचन्द प्रसाद
नि. धारक
देवी



➤ यह कि केवाला संख्या 6433 दिनांक 20.12.2018 विक्रेता मो० ईमरान अंसारी से देवकी देवी पति कपिलदेव प्रसाद साकिन नउवाडीह थाना बिष्णुगढ़ जिला हजारीबाग के द्वारा मौजा जरमुने थाना बगोदर थाना न० 108 खाता न० 185 प्लॉट न० 2029 खरीदगी रकवा $30\frac{1}{6}$ डी०, चौहदी- उ०+पु०- मानिकचन्द वगैरह, द०-नीज लेख्यकारी जुजौ प्लॉट, प०- परती कदीम वो नदी है। की खरीदगी की गई है।

➤ यह कि केवाला संख्या 6620 दिनांक 27.12.2018 विक्रेता मो० ईमरान अंसारी से धनेश्वरी देवी पति बालेश्वर महतो साकिन नउवाडीह थाना बिष्णुगढ़ जिला हजारीबाग के द्वारा मौजा जरमुने थाना बगोदर थाना न० 108 खाता न० 185 प्लॉट न० 2029 खरीदगी रकवा 14 डी०, चौहदी- उ०- देवकी देवी, द०+प०-परती कदीम वो नदी, पू०- मानिकचन्द है। कि खरीदगी की गई है।

➤ यह कि नन्हकी देवी पति निर्मल महतो साकिन बराई टोला नउवाडीह थाना बिष्णुगढ़ जिला हजारीबाग के द्वारा मौजा जरमुने थाना बगोदर थाना न० 108 खाता न० 185 प्लॉट न० 2029 रकवा 44 डी०, चौहदी- उ०- हिस्सा हेयात अहमद, द०- परती कदीम बाद नदी, पु०- नीज खरीदार, प०- परती कदीम बाद नदी है। जिसे मो० इकराम अंसारी से एग्रीमेन्ट के आधार पर खरीदा गया है।

➤ यह कि दोनों पक्षकार एक ही जमीन पर अपना-अपना दावा कर रहे हैं। जिसके कारण दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसका निपटारा करने के लिए दोनों पक्ष अपने गाँव वो आस पास के गणमान्य लोगों के साथ बैठकर एक पंचायत का आयोजन किए तथा निम्न आधार पर दोनों पक्ष समझौता करने को तैयार हो गये।

समझौता का आधार

➤ एग्रीमेन्ट से जमीन के खरीदार नन्हकी देवी के पुत्र मानिकचन्द वगैरह ने यह स्वीकार किये कि एग्रीमेन्ट के आधार पर जमीन का खरीद बिक्री संभव नहीं है वो एग्रीमेन्ट कर्ता के वंशज ही जमीन की बिक्री देवकी देवी वो धानेश्वरी देवी के पास कर दिये है।

मनीष प्रसाद
बालेश्वर महतो

मानिकचन्द प्रसाद
मानिकचन्द प्रसाद

नि धानेश्वरी
देवी

पंचों के साथ ही देवी को देवकी देवी के पुत्र को मोवलग 2,00,000/- रूपैया देकर उक्त जमीन के विवाद को सुलझा लिए।
 पंचों के साथ ही देवी को देवकी देवी के पुत्र को मोवलग 2,00,000/- रूपैया देकर उक्त जमीन के विवाद को सुलझा लिए।
 पंचों के साथ ही देवी को देवकी देवी के पुत्र को मोवलग 2,00,000/- रूपैया देकर उक्त जमीन के विवाद को सुलझा लिए।

- ऐसी स्थिति में मानिकचन्द वगैरह ने यह उचित समझा की एग्रीमेन्ट के जमीन के एवज में मोवलग 2,00,000/- रूपैया नगद देवकी देवी को धानेश्वरी देवी से लेकर उक्त जमीन पर दावा करना छोड़ देना ही उचित है।
- धानेश्वरी देवी को देवकी देवी भी स्वीकार किए कि एक ही जगह रहकर विवाद करने वाक लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि उक्त जमीन के एवज में एग्रीमेन्ट धारक के पुत्र को मोवलग 2,00,000/- रूपैया देकर समझौता करना ही ज्यादा अच्छा समझे।
- वे दोनों पक्ष आपस में अपनी सहूलियत अनुसार 2,00,000/- रूपैया एग्रीमेन्ट प्राप्त कर्ता को देकर उक्त जमीन के विवाद को सुलझा लिए।
- एग्रीमेन्ट प्राप्त कर्ता के पुत्र मानिकचन्द वगैरह ने यह स्वीकार किया कि आज के बाद से हमें या हमारे घर के किसी भी सदस्य को उक्त जमीन से कोई लेना-देना नहीं है। न ही हम कभी उक्त जमीन को लेकर दावा दखल-कब्जा वो विवाद आदि करेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो हम कानून वो समाज के दोषी होंगे वो दण्ड के अधिकारी होंगे।
- यह भी तैय पाया उपरोक्त जमीन देवकी देवी पति कपीलदेव प्रसद / धानेश्वरी देवी पति बालेश्वर महतो अगर जमीन बिक्री करना चाहे, तो मानिकचन्द वगैरह को जमीन खरिदने के लिए आमंत्रित करेंगे। अगर मानिकचन्द वगैरह जमीन नहीं खरिदते हैं तो तो किसी अन्य व्यक्ति को जमीन बिक्री करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किया की उपरोक्त वर्णित जमीन को लेकर कभी हम एक-दुसरे के साथ विवाद या झगड़ा झंझट नहीं करेंगे।

मनीष प्रसाद
 जिला परिषद सदस्य
 जिला परिषद सदस्य
 जिला परिषद सदस्य

पंचों का हस्ताक्षर
 जिला परिषद सदस्य
 जिला परिषद सदस्य
 जिला परिषद सदस्य

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर
 देवकी देवी
 देवकी देवी

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर
 शैलेश्वरी देवी
 शैलेश्वरी देवी

मोवलग प्रसाद
 मोवलग प्रसाद

राम प्रसाद
 राम प्रसाद